16.9.25

पत्रावली पेश. श्री बंकुलाल उपस्थित वकील वादी को हिदायत देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से लिखित तामील नहीं कराई जा रही है। दायर दिनांक 21-12-23 से आज तक 13 तारीखें पेशी उपरान्त भी वकील वादी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है

अतः वाद वादी नं. कमपलाईल में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर